तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहलकार हुक्म की तामील में जारी हुए
17/06/22	पत्रावली पेश हुई। वादी स्वयं वादी वकील उप०। प्रतिवादीगण स्वयं प्रतिवादी वकील स्वयं उप०। तहसील दार मेड़ता से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वादी स्वयं प्रतिवादीगण ने अपनी सहमति जताई। उक्त प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि वादी का वाद स्वीकार करने योग्य है। अतः अन्तिम डिक्री निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली ... ... दाखिल दफ्तर हो। संख्या ... हो।	नि० ... विभाजन प्रस्ताव के हस्ताक्षर ... वादी; विभाजन से सहमत प्रति... नि० ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.30 16:08:39 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा

(पीठासीन अधिकारी : श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस.)

दमा नम्बर :– 239/2011

वा बाबत् :–राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 RT Act.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सदराम पुत्र भारमल जाति विश्नोई निवासी भंवार तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. मदाराम पुत्र भीयाराम के का0मु0 1/1 प्रभुराम 1/2 मलाराम पि. मदाराम 1/3 खिमणी पत्नी मदाराम जाति विश्नोई निवासी भंवार तहसील सेड़वा। 2. शाखा प्रबंधक बी.सी.सी.बी. सेड़वा। 3. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. सेड़वा। 4. श्रीमान तहसीलदार सेड़वा।

अधिवक्तागण – वादीगण वकील – **श्री मोहनलाल खिलेरी**

प्रतिवादी संख्या 1 के वकील – श्री फताराम गोदारा

सहायक कलक्टर (मुहर)

–:निर्णय :–

दिनांक 17.06.2022

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा दिनांक 16.05.2018 को प्राथमिक डिक्री जारी की गयी थी जिसकी पालना में तहसीलदार सेड़वा/धनाऊ के पत्रांक/भू.अ./2021/2592 दिनांक 02.07.2021 द्वारा मौजा भंवार पटवार क्षेत्र भंवार तहसील सेड़वा के खेत खसरा संख्या 274 रकबा 63.07 बीघा का विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उभपक्षकारान वकील उप0। उभयपक्षकारान वकील ने तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनने का निवेदन किया गया। वादी वकील की बहस सुनी गई। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान एवं उभपक्षकारान वकील ने अपनी सहमति जताई। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार मौजा भंवार पटवार क्षेत्र भंवार तहसील सेड़वा के खेत खसरा संख्या 274 रकबा 63.07 बीघा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संबंधित पक्षकारों को [illegible] कार्यालय से नोटिस क्रमांक 02–03 दिनांक 07.04.2021 द्वारा जारी [illegible] जिसकी तामिली विधिवत रूप से करवायी गयी थी। समस्त पक्षकार उपस्थि[illegible] थे – 1. सदराम पुत्र भारमल 2. प्रभुराम पुत्र मदाराम 3. खिमणी पत्नी मदाराम 4. मलाराम पुत्र मदाराम।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.30 16:08:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सेड़वा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1 वाद के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यह		आदेशिका की तामिल	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			

सहायक कलक्टर सेंडवा

सहायक कलक्टर
SDO सेंडवा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.30 16:08:39 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर सेड़वा मुकाम सेड़वा जिला बाड़मेर
व इजलास श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सदराम पुत्र भारमल जाति विश्नोई निवासी भंवार तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. मदाराम पुत्र भीयाराम के का0मु0 1/1 प्रभुराम 1/2 मलाराम पि. मदाराम 1/3 खिमणी पत्नी मदाराम जाति विश्नोई निवासी भंवार तहसील सेड़वा। 2. शाखा प्रबंधक बी.सी.सी.बी. सेड़वा। 3. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. सेड़वा। 4. श्रीमान तहसीलदार सेड़वा।

मुकदमा नम्बर : 239/2011
दावा बाबत् : राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 RT Act

सदराम बनाम मदाराम वगैरा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रू–ब–रू पक्षकारान व हाजरी उपस्थित मिनजानिब मुदई **वादी वकील मोहनलाल खिलेरी उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1 के वकील फताराम गोदारा** मनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि तहसीलदार सेड़वा द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 02.07.2021 को प्रस्तुत किया गया। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री निम्न प्रकार की जाती है।

क्र. सं.	नाम खातेदारान	ग्राम	ख. नं.	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1	सदराम पुत्र भारमल कौम विश्नोई सा0 देह खातेदार	भंवार	274	30.09	बारानी सोयम	–	–
2	प्रभुराम, मलाराम पि. मदाराम खिमणी पत्नी मदाराम कौम विश्नोई सा0 देह खातेदार	भंवार	274	32.18	बा.सो	–	–

तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव की पालना अनुरूप विभाजन की जाती है। उपरोक्तानुसार अन्तिम डिक्री नक्शे मे अलग–अलग रंग दर्शाये अनुसार ... एवम पृथक पृथक खातेदार खातेदार के हिस्से की आराजी का नक्शा ... फरीकान अपना अपना खर्चा वहन में दर्ज करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को ... करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.30 16:08:39 IST
Reason: SelfAttested

बसग्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 17.06.2022 को जारी की गई।

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

सहायक कलक्टर SDO सेड़वा

... पर वादी एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति से उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम – 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। जो इस प्रकार है–

क्र. सं.	नाम खातेदारान	ग्राम	ख. नं.	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1	सदराम पुत्र भारमल कौम विश्नोई सा0 देह खातेदार	भंवार	274	30.09	बारानी सोयम	–	–
2	प्रभुराम, मलाराम पि. मदाराम खिमणी पत्नी मदाराम कौम विश्नोई सा0 देह खातेदार	भंवार	274	32.18	बा.सो	–	–

तहसीलदार सेड़वा को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 02.07.2021 निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिले दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2022 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
SDO सेड़वा

सहायक कलक्टर सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.30 16:08:39 IST
Reason: SelfAttested